HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13413/2026
CNR: RJHC020826742026 | URN: CRLMB / 24821U / 2026

Aditya Devadwal S/o Chhajuram, Aged About 19 Years, R/o Village Garh, Police Station Tunga, Jaipur, Presently Near Saint Lorance School, Bassi, Police Station Bassi, Jaipur. (At Present Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13414/2026
CNR: RJHC020826912026 | URN: CRLMB / 24822U / 2026

Hemant Meena S/o Shri Babulal, Aged About 22 Years, R/o Nada Ki Dhani, Bhavpura, Police Station Bassi, Jaipur East. (At Present Confined At Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13415/2026
CNR: RJHC020824172026 | URN: CRLMB / 24824U / 2026

Mukesh Sharma S/o Sitaram Sharma, Aged About 26 Years, R/o Bhuj, Tibba Wala Ki Dhani, Police Station Jamwaramgarh, Jaipur Rural. (Presently Confined At Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13796/2026
CNR: RJHC020836472026 | URN: CRLMB / 25599U / 2026

Manish Kumar Meena @ Ganni S/o Ramkishan, Aged About 26 Years, R/o Bhaavpura, Police Station Bassi, Jaipur East (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Kuldeep Yadav Mr. Devendra Sharma Mr. Anoop Pareek Mr. Gulam Sabir Pinjara
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

14/09/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा **483** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह चार प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–**बस्सी, जयपुर पूर्व** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **510/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 352, 189(2), 324(4), 305(1), 333, 119(1), 308(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किए गये हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त **आदित्य** व प्रार्थी/अभियुक्त **हेमन्त** के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि इन दोनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका नाम अंकित नहीं है। घटना में किसी भी व्यक्ति के कोई गंभीर चोट नहीं आई है। दोनों प्रार्थीगण–अभियुक्तगण दिनांक 9.8.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। मामले के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाये।

उसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण आदित्य व हेमन्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी की दुकान में तोड़–फोड़ की है तथा उसके गल्ले में रखे हुए रूपये भी ले गये, जो वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। गंभीर अपराध है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदित्य व हेमन्त को जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त **मुकेश शर्मा** के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है। घटना में किसी भी व्यक्ति के कोई गंभीर चोट नहीं आई है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 9.8.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में गल्ले में से राशि ले जाने का आक्षेप नहीं है। उसके विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण जो दर्ज होना बताया गया है, वह 13 आर.पी.जी.ओ. से सम्बन्धित है। मामले के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभ्युक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी की दुकान में तोड़–फोड़ की है तथा उसके गल्ले में रखे हुए रूपये भी ले गये, जो वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। प्रकरण में परिवादी के करण नामक कर्मचारी के चोटें आई हैं, जिसका चोट प्रतिवेदन भी पत्रावली पर उपलब्ध है। गंभीर अपराध है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त **मनीष** के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में मिथ्या संलिप्त किया गया है। घटना में किसी भी व्यक्ति के कोई गंभीर चोट नहीं आई है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 9.8.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का जो आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, वह राजीनामा के आधार पर निस्तारित हो चुका है। मामले के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी की दुकान में तोड़–फोड़ की है तथा उसके गल्ले में रखे हुए रूपये भी ले गये, जो वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। गंभीर अपराध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आक्षेप है कि उन्होंने परिवादी कानाराम की बस्सी स्थित मेन्सवियर की दुकान पर आकर परिवादी के कर्मचारी से कपड़े उधार देने के लिए कहा और जब उसने मना किया तो उसके साथ गाली–गलौज की और

जान से मारने की धमकी दी। कुछ समय पश्चात् कुछ लोग एक ब्लैक थार में वापिस आये और उसकी दुकान में तोड़फोड की तथा कर्मचारी करण से मारपीट की। केस डायरी पर घटना की सी.सी.टी.वी. फुटेज के कुछ फोटोग्राफ्स उपलब्ध है, जिसमें परिवादी के कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए वर्तमान अभियुक्तगण दिखाई दे रहे है। अनुसंधान के दौरान इस घटना में ले जाये गये 1500/–रूपये की फर्द–जब्ती भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार यह राशि अन्य अभियुक्तगण के साथ–साथ वर्तमान अभियुक्तगण आदित्य, हेमन्त मीणा, मुकेश शर्मा तथा मनीष कुमार मीणा उर्फ गन्नी के आधिपत्य से भी बरामद होना बताया गया है। पत्रावली पर आहत करण सैनी का चोट प्रतिवेदन भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार उसके पैर व कमर पर चोटें आना पाया गया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 352, 189(2), 324(4), 305(1), 333, 119(1), 308(2) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग है तथा **अभी मामले में अनुसंधान चल रहा है।** ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह चारों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

35 to 38/JITENDRA SINGH PANWAR